भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2104
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

भारतीय न्यायपालिका में एआई का उपयोग

2104. श्री एंटो एन्टोनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई-कोर्ट परियोजना के चरण-III के अंतर्गत उपयोग के लिए स्वीकृत या प्रस्तावित एआई माधनों का ब्यौरा क्या है और वे साधन कौन-कौन से हैं, उनके डेवलपर्स या विक्रेता संगठन कौन हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं ;

(ख) क्या न्यायिक कार्य में एआई साधनों के उपयोग से पहले उनके औपचारिक मूल्यांकन, अनुमोदन और संपरीक्षा हेतु कोई तंत्र मौजूद है ;

(ग) क्या सरकार स्वीकृत और अस्वीकृत एआई संसाधनों के बीच अंतर करने और न्यायिक निष्कर्षों, आदेशों तथा निर्णयों के लिए एआई माधनों के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या न्यायालयों में प्रस्तावित या वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले एआई साधन प्रशासनिक कार्यों तक सीमित हैं या उनका उपयोग विधिक अनुसंधान, उद्धरणों की पहचान, प्रारूपण या अन्य न्यायिक कार्यों के लिए भी किया जा रहा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : ई-मिशन मोड परियोजना, राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के समन्वय से न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । परियोजना के तृतीय चरण के अधीन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को

अपनाने, न्यायिक दक्षता बढ़ाने का उपबंध है, जिसके लिए भावी प्रौद्योगिकीय प्रगति घटक के अधीन ₹53.57 करोड़ की रकम निश्चित की गई है।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपकरण विधिक अनुसंधान विश्लेषण सहायक (LegRAA) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाग और ई-न्यायालय के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoEE), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है ताकि माननीय न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान और दस्तावेज़ विश्लेषण में सहायता मिल सके। एक अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपकरण, डिजिटल कोर्ट्स 2.1 को ई-न्यायालय के उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे द्वारा एक एकीकृत अंकीय मामला (केस) प्रबंधन प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया गया है। यह मामला (केस) से संबंधित जानकारी के लिए एकल खिड़की अंतरफलक प्रदान करता है और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम सुविधाएँ शामिल हैं जैसे स्वर-से-लिप्यान्तरण लिखित पाठ प्रतिलेखन और अनुवाद, जिससे माननीय न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को आदेश और निर्णयों के श्रुतलेख में सहायता मिलती है। दोनों उपकरण आरंभिक परीक्षण चरण में हैं।

संचालन रूपरेखा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित समाधानों के अनुप्रयोग और भविष्य के उपयोग के नियमन को नियंत्रित करता है, भारत के उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों के कार्य संचालन नियम और नीतियों के अनुसार तय किया जाता है।
